संख्या-62/2021/856/22-2-2021-17(484)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 24 मई, 2021***

विषय:-केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सागर पुत्र श्री प्यारे लोध, निवासी जनपद-रायबरेली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे-5-दया0 बैठक-11-02-2021 दिनांक 22-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सागर पुत्र श्री प्यारे लोध, जो कुटी मजरे रेन, थाना-बछरांवा, जनपद-रायबरेली का रहने वाला है। बंदी द्वारा जमीन एवं जायदाद को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 17.09.2005 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी एवं कुल्हाड़ी से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी एवं 02 अन्य व्यक्तियों को घायल किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-02/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, रायबरेली के आदेश दिनांक 11.03.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.01.2021 तक 15 वर्ष 03 माह 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 07 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली ने बन्दी द्वारा जेल से छूटने के पश्चात पुन: अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने **के** दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी राम सागर (बन्दी संख्या-1789/08) पुत्र श्री प्यारे लोध, निवासी जनपद-रायबरेली की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-62/2021/856(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली।
2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in